विचार बिन्दु

घृणा हृदय का पागलपन है। –बायरन

हम गर्व किस बात पर करें?

गत कुछ दिनों से मैं एक धर्म संकट में हूं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं देश की आर्थिक स्थिति पर गर्व करूं अथवा शर्मिंदा होऊं? हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी कि भारत, जापान को पीछे छोड़ कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हालांकि आई एम एफ ने शीघ्र स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में जापान से अधिक जीडीपी भारत की इस वर्ष के अंत अर्थात दिसंबर 2025 तक होने की संभावना है। खैर, हम इस बहस को फिलहाल छोड़ देते हैं कि हम अभी चौथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन चुके हैं या दिसंबर 2025 तक बनेंगे।

कुछ भी हो, यह किसी भी भारतीय के लिए गर्व से सिर ऊंचा करने के लिए एक पर्याप्त अवसर है। प्रधानमंत्री जी से लेकर भाजपा के सभी नेता प्रतिदिन भारत के नागरिकों को यह याद दिला भी रहे हैं। यह कहा जाता है कि हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी हैं। मुझे गर्व करने का मन इसलिए भी होता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति बड़ी-बड़ी बहु राष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पदों पर पदस्थापित हैं। यूनिकॉर्न उद्यमियों की संख्या हमारे यहां पर तेजी से बढ़ रही है।

जब मैं इस नवीनतम उपलब्धि के बारे में सोच ही रहा था और अपने आप को सातवें आसमान पर अनुभव करने लगा था कि तभी कुछ और तथ्य एवं जानकारी सामने आती है, जिसके कारण इस उपलब्धि के दूसरे पहलू की ओर भी सोचने को बाध्य हुआ।

जापान और भारत, दोनों की जी डी पी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर है किंतु जापान की जनसंख्या 10 करोड़ है जबकि भारत की 145 करोड़ है।

जापान की प्रति व्यक्ति आय 35000 डॉलर है जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2800 डॉलर है।

पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि चीन की जीडीपी भारत से लगभग पांच गुना और अमेरिका की जीडीपी भारत से लगभग 8 गुना है।

कई पाठकों को शायद यह नहीं पता हो कि जीडीपी की गणना किस प्रकार की जाती है? वैसे तो इसकी सही परिभाषा अर्थशास्त्री ही बता सकते हैं, किंतु एक सामान्य जिज्ञासु नागरिक के नाते जब मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि देश के सभी नागरिकों द्वारा प्रति वर्ष किए जाने वाले व्यय का योग जीडीपी कहा जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। एक तीसरा तरीका यह है कि देश के सभी लोगों की आय का कुल योग जी डी पी होती है। इसके साथ ही, वर्तमान बाजार मूल्य और किसी किसी एक संदर्भ वर्ष के आधार पर जीडीपी की गणना की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है, उसके आधार पर भी इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस देश को जिस प्रकार का तरीका पसंद होगा उसी अनुसार अपने देश की जीडीपी की गणना करके अपने आप को बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित कर सकता है।

मुख्य प्रश्न तो यह है कि क्या अधिक जीडीपी के कारण हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं? इसका उत्तर देने से पूर्व हमें निम्न बातों का भी ध्यान रखना होगा:–

किसी मैरिज गार्डन या किसी के घर में बड़ी पार्टी के बाद, झूठे डाले गए भोजन की प्लेटों में से बच्चों द्वारा चुन चुन कर कुछ बची हुई सामठी को उठाकर खाने और अपने घर के अन्य लोगों के लिए इकट्ठा करने के दृश्य आम हैं।

हजारों बच्चे, बिना चप्पलों और बिना पर्याप्त कपड़ों के, सड़क पर फेंके हुए कचरे में से कचरा बीनते दिखाई देते हैं।

जयपुर में एक निर्धन परिवार की महिला को सड़क पर ही प्रसव करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि अस्पताल ने उसे भर्ती करने के लिए इंकार कर दिया था.

संपत्ति के वितरण में भारत में सबसे अधिक असमानता है। यहां की एक प्रतिशत जनसंख्या के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40 प्रतिशत है, जब कि निचली 50 प्रतिशत जनसंख्या के पास कुल संपत्ति का मात्र 1 प्रतिशत है।

भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को आईपीएल में एक रन बनाने पर जितना पैसा मिलता है, उतना पैसा तो भारत के 99 प्रतिशत लोग साल भर में भी नहीं कमा पाते। केवल एक प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय ऋषभ पंत की एक गेंद पर होने वाली आमदनी 10 लाख रुपए से अधिक है।

देश की लगभग 80 करोड़ जनसंख्या सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन पर निर्भर हैं।

देश में लगभग 20 करोड लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन रात्रि को भूखे ही सोते हैं।

समाप्त होती सरकारी नौकरियों के कारण अच्छे खासे पढ़े-लिखे युवा डिलीवरी बॉय बनकर रह गए हैं। आप यदि किसी भी शहर में सड़क पर जा रहे हों, तो आपको तेज गति से मोटरसाइकिल पर पीछे बड़ा सा बॉक्स लटकाए हुए, तेजी से जाता हुआ युवा दिखाई दे, तो मान लीजिए कि वह देश का 'भविष्य' जा रहा है, जो एम ए, पीएच डी या बीटेक करने के बाद भी समुचित नौकरी नहीं मिलने के कारण पिज़्ज़ा या बर्गर किसी दुकान से घर तक पहुंचाने के काम में लगा हुआ है। कम समय में घरों पर डिलीवरी करने के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लोभ में वे कई बार लाल बत्ती को भी पार करने में नहीं हिचकते और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इस कारण होने वाली दुर्घटनाओं के समाचार हम नियमित रूप के पढ़ते हैं। हमारे युवाओं की यह स्थिति संकेत नहीं करती कि देश में कैसे हालात हैं?

वर्तमान में देश की 10-20 प्रतिशत जनता वास्तव में ऐसी है, जो देश पर गर्व कर सके। शेष जनता तो तब ही गर्व कर पाएगी जब प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, किसी को कच्ची बस्ती में नारकीय स्थिति में नहीं रहना पड़े, किसी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक में उतरकर जहरीले गैस से मरने के लिए बाध्य न होना पड़े, किसी भी बच्चे को होटल में बर्तन साफ नहीं करने पड़ें, जहां महिलाएं देश में किसी भी स्थान पर, किसी भी समय बे रोक-टोक जाने में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती हों।

जब कोई युवक गांव से शहर में आकर कोई थड़ी/ठेला लगाकर या छोटा-मोटा सामान बेचने का प्रयास करता है तो उससे भी पुलिस या नगर निगम के कर्मचारी प्रति माह 2000-3000 रुपए वसूली करने से नहीं चूकते। यदि कोई इस मासिक 'प्रक्रिया' में हिस्सेदारी निभाने में आनाकानी करे तो उसका ठेला उलटने में कोई समय नहीं लगाया जाता। गरीबों पर कानून लागू करने में हमारा पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जेडीए प्रशासन सबसे अधिक तत्पर दिखाई देता है, चाहे उनकी इस 'अतिरिक्त तत्परता' के कारण निर्धन परिवार के सदस्यों को रात्रि को बिना भोजन के भूखा ही क्यों सोना पड़े?

देश में 30 प्रतिशत आबादी कच्चे या अनधिकृत घरों में रहती है। अनेक परिवार पानी के बड़े पाइपों के अंदर सोते हैं। जिन कच्ची बस्तियों में घास फूस के घर बना कर ये रहते हैं, पता नहीं, नगर विकास का अधिकारी आकर उन्हें भी कब तोड़ जाए। कई बार तो इन्हें केवल अपने स्थान पर बने रहने के लिए 'मंथली' राशि संबंधित थाने, नगर निगम या जे डी ए के अधिकारियों तक पहुंचाने होती है।

जिन बच्चों पर देश का भविष्य टिका है, उनमें से अधिकांश निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों से यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि पांचवी या छठी क्लास के बच्चे पहली या दूसरी क्लास की साधारण किताब भी नहीं पढ़ सकते हैं ।

देश में भूखे रहकर सोने वालों, बिना समुचित मकान के रहने वालों एवं कुपोषित बच्चों और व्यक्तियों की संख्या, किसी भी गरीब अफ्रीकी देश से भी अधिक है। प्रति व्यक्ति आय में हम 145वें स्थान पर हैं। वैसे यह प्रति व्यक्ति आय भी कोई विशेष मायने नहीं रखती क्योंकि यह औसत को दर्शाती है, जबकि बहुत बड़ी आबादी के पास मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं ।

ऐसी स्थिति के कारण जब शर्मिंदा होने लगा, तब ही विचार आ गया कि भारत विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब में शामिल है, भारत न्यूक्लियर क्लब में भी शामिल है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। इसी समय, मेरे मन में यहां की चमचमाती हाईवे पर चलने वाली एक से एक आधुनिक सरपट दौड़ती हुई गाड़ियों के दृश्य दिखाई दिए। क्लबों, विदेश, यात्राओं और शदियों में अनाप-शनाप खर्च करने वालों का भी ध्यान आ जाता है, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

जब मैं असमंजस में था कि मैं गर्व करूं अथवा शर्मिंदा होऊं, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर, गुजरात में एक सार्वजनिक सभा में 2047 तक विकसित भारत की बात करते हुए सब भारतीयों का आव्हान किया कि वे विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद करें। उन्होंने कहा कि आज दिन-प्रतिदिन काम आने वाली छोटी से छोटी चीज भी विदेशी है। इसकी व्यावहारिकता के बारे में सोचने लगा तो पाया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी वस्तुएं इतनी घर कर गई हैं कि उनके बिना रहना अकल्पनीय दिखाई देता है। गांव या शहर, गरीब या अमीर, सभी प्रातःकाल से शाम तक किसी न किसी विदेशी वस्तु का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जिस हवाई जहाज में प्रधानमंत्री जी यात्रा करते हैं वह विदेश में बना है, भारतीय यात्री भी विदेशी विमान से ही यात्रा करते हैं, हर कार्य स्थल या निवास पर एयर कंडीशनर विदेशी है। आजकल तो जूते, कपड़े सब विदेशी ब्रांड के हैं, यहां तक कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब विदेशी हैं। तो क्या इन सब का उपयोग करना बंद कर दें? यहां तक कि, पूजा सामग्री, गणेश मूर्ति, दिवाली पर लगने वाली एलइडी की लड़ियां, सब विदेशी हैं। यही नहीं, राफेल फाइटर प्लेन भी, जो अभी भारत ने हाल ही खरीदे, वह भी तो हमारे नहीं हैं। मेरे विचार से आत्मनिर्भरता का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग न करें। आज पूरा विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है, जहां सब एक-दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में इस अपील का क्या तात्पर्य है, यह तो प्रधानमंत्री जी स्वयं ही अपने किसी अगले उद्बोधन में विस्तार से समझा सकते हैं। यदि भाजपा समर्थक उद्योगपति या व्यापारी इसकी शुरुआत करते हुए अपने शोरूम/दुकान में केवल वही सामान रखें जो विदेशी न हो, तो यह अन्य देश वासियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण होगा।

इस विषय पर पूरा मंथन और चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान में देश की 10-20 प्रतिशत जनता वास्तव में ऐसी है, जो देश पर गर्व कर सके। शेष जनता तो तब ही गर्व कर पाएगी जब प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, किसी को कच्ची बस्ती में नारकीय स्थिति में नहीं रहना पड़े, किसी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक में उतरकर जहरीले गैस से मरने के लिए बाध्य न होना पड़े, किसी भी बच्चे को होटल में बर्तन साफ नहीं करने पड़ें, जहां महिलाएं देश में किसी भी स्थान पर, किसी भी समय बे रोक-टोक जाने में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती हों ।

यदि ऐसा हुआ तो देश के डेढ़ सौ करोड़ लोग एक साथ देश पर गर्व करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। फिलहाल तो हम उस दिन की प्रतीक्षा ही करेंगे। यदि हम वर्तमान स्थिति पर गर्व करना प्रारंभ कर देंगे तो यह देश की 80 प्रतिशत आबादी के घाव पर नमक छिड़कने जैसा होगा। यह अपराध में नहीं करना चाहता हूं।

अतः फिलहाल, मैं ना शर्मिंदा हूं न गर्वित। अभी तो मैं स्थिति को बेहतर बनाने में मनोयोग से अपना योगदान करने के लिए तत्पर होने का संकल्प अवश्य लेता हूं ।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

खमीरा कला: दीवारों की वो कला जो मिट्टी से जन्मी है

अविनाश जोशी

राजस्थान, जहाँ की मिट्टी में लोकगाथाएँ जन्म लेती हैं और रंगों की भाषा में संस्कृति जीवित रहती है, वहाँ की लोककलाएँ केवल शिल्प नहीं, आत्मा की अनुभूति हैं। इन्हीं कलाओं में एक विशिष्ट परंपरा है 'खमीरा कला' यह कला दीवारों पर मिट्टी, गोबर, चूना और प्राकृतिक तत्वों से उभरी आकृतियों के माध्यम से सृजन का ऐसा संसार रचती है, जहाँ केवल सौंदर्य नहीं, आस्था, परंपरा और लोकसंस्कृति भी आकार पाती है।

खमीरा कला का नाम उसके मुख्य घटक 'खमीरा' से ही लिया गया है। यह मिश्रण चूना, गाय के गोबर, नीम की राख, स्थानीय रेत और कभी-कभी हल्के प्राकृतिक रंगों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह मिश्रण साधारण नहीं, बल्कि लोकज्ञान का परिणाम है। यह न केवल दीवारों को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें जीवंत बना देता है। जब कोई ठामीण स्त्री अपनी हथेली या लकड़ी के उपकरण से इस खमीरे को दीवार पर चढ़ाकर आकृतियाँ बनाती है, तो उसमें केवल मिट्टी नहीं, पीढ़ियों की स्मृति, जीवन की आस्था और पारंपरिक सौंदर्यबोध भी समाहित होता है।

यह कला विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, दीपावली, नवरात्रि, गणगौर, गोगाजी पूजा आदि पर घर की भींतों, दरवाज़ों, चौखटों और पूजा स्थलों पर रची जाती है। इन अवसरों पर खमीरे से उकेरे जाने वाले चित्र केवल सजावटी आकृतियाँ नहीं होते, वे मंगल प्रतीकों के रूप में घर की पवित्रता और समृद्धि की कामना का प्रतीक होते हैं। सूरज समृद्धि का द्योतक है, कमल सौभाग्य का, मोर रंगीन जीवन और सौंदर्य का, तो वहीं बेल-बूटे जीवन की निरंतरता और प्रकृति से सामंजस्य का संकेत देते हैं। इन आकृतियों को बनाते समय कलाकार किसी पंथ या वर्ग की सीमा में बंधा नहीं होता, बल्कि वह लोकमान्यताओं और प्रकृति से प्रेरणा लेकर रचना करता है।

खमीरा कला को पीढ़ियों से ठामीण महिलाओं द्वारा संरक्षित और संवर्धित किया गया है। यह उनकी रचनात्मकता का परिणाम है, जिसे उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा, पारिवारिक परंपरा और लोकानुभवों के माध्यम से सीखा और सहेजा है। इन महिलाओं के लिए यह कला केवल दीवार की सजावट नहीं, उनके जीवन और श्रम सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। वे जब इस शिल्प में रची-बसी होती हैं, तो वह कला साधना बन जाती है, ऐसी साधना जिसमें भौतिकता से परे जाकर एक सांस्कृतिक आत्मा आकार पाती है।

वर्तमान समय में खमीरा कला का अस्तित्व कुछ सीमित क्षेत्रों में ही रह गया है। राजस्थान के नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, अलवर और झुंझुनू जैसे जिलों में आज भी यह कला जीवित है। नागौर जिले के कुठाला गाँव में श्रीमती गीता देवी जैसी लोक कलाकार आज भी विवाह और त्योहारों पर इस कला को सहेजकर अगली पीढ़ी को सिखा रही हैं। उनका मानना है कि यह केवल शिल्प नहीं, हमारे संस्कारों की दीवार है। जैसलमेर के कुछ गाँवों में गणगौर और गोगाजी पूजा के अवसरों पर खमीरे से अश्वारोही आकृतियाँ और पुष्प श्रृंखलाएँ दरवाज़ों के ऊपर बनाई जाती हैं। यह परंपरा वहाँ के भाटी राजपूत और हरिजन समुदायों में विशेष रूप से प्रचलित है।

चूरू की पुरानी हवेलियाँ खमीरा कला की भव्यता का उदाहरण हैं। यहाँ परंपरागत शैली को मुगल बेलबूटों और स्थानीय चित्रकला से जोड़ते हुए अत्यंत जटिल सजावट की जाती थी। यह शैली कभी राजपूत सेठों द्वारा संरक्षित की गई थी, जो आज भी कुछ हवेलियों में देखी जा सकती है। वहीं अलवर और झुंझुनू में दीपावली, हरियाली अमावस्या और अन्नपूर्णा पूजन जैसे त्योहारों पर यह कला घरों की अंगीठियों, चौखटों और रसोईघर की दीवारों पर विशेष रूप से अपनाई जाती है। यहाँ कुम्हार, जाट और गुर्जर समुदायों में खमीरे से मंगल प्रतीक बनाना एक सांस्कृतिक अनुष्ठान जैसा है।

हालाँकि, यह गौरवशाली परंपरा अब संकट के दौर में है। आधुनिकता, कंक्रीट दीवारें, बाजार-केन्द्रित सौंदर्यबोध और लोककलाओं के प्रति उपेक्षा के चलते खमीरा कला आज लगभग विलुप्तप्राय हो चुकी है। अधिकांश युवा इस कला से अनभिज्ञ हैं, और सरकार की ओर से भी इसके संरक्षण हेतु कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। जो कलाकार आज भी इस परंपरा को बचाए हुए हैं, वे सीमित संसाधनों और सामाजिक उपेक्षा के बीच संघर्षरत हैं। चूरू के निवासी श्री देवीसिंह राठौड़, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी हवेली की खमीरा भित्तियों का पुनरुद्धार करवाया, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं यदि अब भी नहीं चेते, तो अगली पीढ़ी इस कला को केवल किताबों और तस्वीरों में देखेगी।

जयपुर की कुछ संस्थाएँ जरूर इस कला के पुनरुद्धार की दिशा में कार्य कर रही हैं, लेकिन यह प्रयास समुचित स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। खमीरा कला को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है कि गाँवों में स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएँ, विद्यालयों में लोककलाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कलाकारों को आर्थिक सहायता दी जाए और डिजिटल माध्यमों से इनके कार्यों का संठाहण व प्रचार-प्रसार किया जाए। सांस्कृतिक मेलों, शिल्प प्रदर्शनियों और अकादमिक मंचों पर इस कला को उचित स्थान देकर न केवल कलाकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि अगली पीढ़ी को इससे जोड़ा भी जा सकता है। खमीरा कला केवल दीवारों पर उकेरी गई आकृतियाँ नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, जीवन दृष्टि और लोकआस्था का जीवंत दस्तावेज है। जब एक ठामीण स्त्री खमीरे से दीवार पर आकृति बनाती है, तो उसमें केवल सौंदर्य नहीं, पीढ़ियों का अनुभव, सामूहिक विश्वास और मिट्टी की आत्मा आकार पाती है। यह कला अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की साँस लेती परंपरा है, जिसे सहेजना केवल कला का संरक्षण नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक ज़िम्मेदारी भी है।

यदि हम खमीरा कला को सहेज सकें, तो हम केवल एक लुप्त होती शैली को नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़ी पहचान, रचनात्मकता और सांस्कृतिक उत्तराधिकार को भी बचा सकेंगे। यह वह कला है जो मिट्टी से जन्मी है, और मिट्टी से ही हमारे जीवन को आकार देती है।

–अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

शैक्षणिक स्वतंत्रता - क्या यह आवश्यक है?

अशोक कुमार

शैक्षणिक स्वतंत्रता उच्च शिक्षा में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों की स्वतंत्रता है कि वे अपने शैक्षणिक क्षेत्र में विचारों और निष्कर्षों की जांच, शिक्षण और चर्चा कर सकें, बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप, प्रतिबंध या प्रशासकों, राजनीतिक हस्तियों, दाताओं या अन्य बाहरी संस्थाओं से प्रतिशोध के डर के। यह सामान्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग है क्योंकि यह विशेष रूप से शैक्षिणक कार्य की व्यावसायिक जिम्मेदारियों और संदर्भों से जुड़ी हुई है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता के प्रमुख पहलुओं में आम तौर पर शामिल हैं:

पढ़ाने की स्वतंत्रता: इसमें संकाय सदस्यों को पाठ्यक्रम सामग्री का चयन करने, शिक्षण विधियों को निर्धारित करने, असाइनमेंट बनाने और छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने का अधिकार शामिल है, जब तक कि यह उनकी व्यावसायिक क्षमता और विषय वस्तु के साथ संरेखित हो।

शोध और प्रकाशन की स्वतंत्रता: शिक्षाविदों को छात्रवृत्ति के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने, शोध करने और बिना सेंसरशिप या नियंत्रण के अपने निष्कर्षों को प्रसारित और प्रकाशित करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही विषय या निष्कर्ष विवादास्पद हों।

आंतरिक भाषण की स्वतंत्रता: यह संकाय के अधिकार की रक्षा करता है कि वे अनुशासन के डर के बिना संस्थागत नीतियों या कार्यों के बारे में अपनी राय व्यक्त करें।

बाहरी भाषण की स्वतंत्रता: हालांकि असीमित नहीं है, लेकिन शैक्षिणक स्वतंत्रता अक्सर नागरिकों के रूप में बोलते या लिखते समय शिक्षाविदों की सुरक्षा तक फैली हुई है, हालांकि यह आमतौर पर उनकी शैक्षिणक विशेषज्ञता और स्थिति से घिरा हुआ है।

सीखने की स्वतंत्रता: छात्रों के लिए, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रशिक्षकों से अनुचित व्यवहार या प्रतिशोध के डर के बिना विचारों को तलाशने, चुनौती देने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार, और खुली बहस में शामिल होना।

क्या यह किसी संस्थान की प्रगति के लिए शैक्षिणक स्वतंत्रता आवश्यक है?

शैक्षणिक स्वतंत्रता को व्यापक रूप से किसी संस्थान की प्रगति के लिए और विस्तार से, पूरे समाज के लिए आवश्यक माना जाता है। सत्य की खोज और ज्ञान की उन्नित को बढ़ावा देता है: इसके मूल में, एक विश्वविद्यालय का मिशन ज्ञान की खोज और प्रसार करना है। शैक्षणिक स्वतंत्रता के बिना, विद्वान विवादास्पद या चुनौतीपूर्ण विषयों का पता लगाने में हिचकिचाएंगे, जिससे विचारों में ठहराव आएगा और स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने में अनिच्छा होगी। यह बौद्धिक जांच के उद्देश्य में बाधा डालता है।

आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देता है: शैक्षणिक स्वतंत्रता दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और सिद्धांतों की विविधता का पता लगाने की अनुमति देती है। यह खुला वातावरण आलोचनात्मक सोच, बौद्धिक बहस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मानविकी और सामाजिक न्याय तक विभिन्न क्षेत्रों में नए समाधानों और सफलताओं के विकास को प्रोत्साहित करता है।

शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करता है और उन्हें बनाए रखता है: अग्रणी विद्वान और शोधकर्ता ऐसे संस्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जहाँ वे बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने बौद्धिक हितों को आगे बढ़ा सकते हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता उच्च गुणवत्ता वाले संकाय और छात्रों के लिए एक चुंबक है, जो संस्थान की प्रतिष्ठा और क्षमताओं को बढ़ाता है।

शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाता है: जब संकाय छात्रों की जरूरतों और रुचियों को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम सामठी को अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब शोधकर्ता कठोर और निष्पक्ष जांच कर सकते हैं, तो शिक्षा और शोध की समग्र गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान अच्छी तरह से विकसित स्नातक और प्रभावशाली शोध का उत्पादन करता है।

संस्थानों को आम अच्छे की सेवा करने की अनुमति देता है: विश्वविद्यालय सार्वजनिक प्रवचन को सूचित करने, सत्ता को जवाबदेह ठहराने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षणिक स्वतंत्रता उन्हें शिक्षाविदों को सत्ता के सामने सच बोलने, स्वतंत्र विश्लेषण करने और पेशेवर नतीजों के डर के बिना सामाजिक और राजनीतिक आलोचना में संलग्न होने की अनुमति देकर इस भूमिका को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करता है: शैक्षिणक स्वतंत्रता संस्थागत स्वायत्तता से निकटता से जुड़ी हुई है यह एक बुनियादी सिद्धांत है जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान की बौद्धिक जीवंतता, नवाचार और सामाजिक योगदान को रेखांकित करता है। इसके बिना, संस्थानों के प्रतिध्वनि कक्ष बनने, रचनात्मकता को दबाने और अंततः ज्ञान को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक भलाई की सेवा करने के अपने मिशन में विफल होने का जोखिम है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

भरतपुर जिले में मेधावी छात्राओं को नहीं मिली स्कूटी

भरतपुर, (निसं)। मेधावी छात्राओं के लिए खरीदी गई स्कूटी कबाड़ होने के कगार पर पहुंच चुकी है। सत्र 2023 और 2024 की छात्राओं के लिए यह स्कूटी वितरित होनी थी, लेकिन कई छात्राओं का आरोप है कि उन्हें स्कूटी नहीं मिली है, जबकि उनका नाम लिस्ट में है। आरडी गर्ल्स कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रथम चरण की छात्राओं को स्कूटी वितरित कर दी गई है और जल्द ही शेष छात्राओं को भी स्कूटी मिल जाएगी।

भरतपुर निवासी छात्रा तनु ने बताया कि उसके द्वारा दो साल पहले आमंत्रित किया गया था लेकिन अभी तक उसे स्कूटी नहीं मिली है वह कई बार कॉलेज प्रशासन से मिल चुकी है। छात्रा मीना कुमारी ने बताया कि उसके द्वारा एक साल पहले स्कूटी के लिए आमंत्रित किया गया था। उसका लिस्ट में नाम था लेकिन एक साल से कई बार चक्कर लगा चुकी है लेकिन उसे भी स्कूटी नहीं दी गई। आरडी गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. सुजाता चौहान ने बताया कि इस महाविद्यालय में स्कूटी वितरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार की ओर से प्रथम चरण के लिए 392 स्कूटी आई थी। जिनमें से 332 स्कूटियों का वितरण कर दिया गया, जो छात्राएं डिफॉल्टर थी उन बच्चियों को स्कूटी नहीं दी गई है, जिनकी संख्या 60 के आसपास थी। दूसरे चरण में 64 स्कूटियों का वितरण होना है जिनमें हमारे पास 45 स्कूटी हैं। बाकी स्कूटियों के लिए डीलर को बोल दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वह चल रहा है जल्द ही छात्राओं को स्कूटी दे दी जाएगी।

मेधावी छात्राओं को मिलने वाली स्कूटी कबाड़ होने के कगार पर पहुंची।

राशिफल मंगलवार 3 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 12:59 तक, हर्षण योग प्रातः 8:08 तक, विष्टि करण प्रातः 9:16 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

रवियोग रात्रि 12:59 से आरम्भ होगा। भद्रा प्रातः 9:16 तक है। आज दुर्गाष्टमी, भौमाष्टमी, धूमावती जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:01 से 10:43 तक, लाभ अमृत 10:43 से 2:07 तक, शुभ 3:49 से 5:31 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:13

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। आज महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। मन में असंतोष और मानसिक तनाव बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

तुला
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।